प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2014**

विषय: अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण शाखा में आयोजनेत्तर पक्ष की योजना में वर्ममान वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि रू0-1550 हजार की व्यवस्था किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-380/बजट-आयोजनागत/2014-15 दिनांक 19.03.2015, सं0-393/बजट-आयोजनागत/2014-15 दिनांक 24.03.2015 के सन्दर्भ में एवं शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-641/ई-1-186/दस-2015, दिनांक- 29.03.2015 पृष्ठांकन संख्या-405/58-2-2015-300 (3)/2015 दिनांक 30.03.2013 की छाया प्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा लेखाशीर्षक 2401-119-04-0409 के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0-15,50 हजार (रूपया पन्द्रह लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
10	2401-फसल कृषि कर्म- 119- बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 04- फल 0409-खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना		
	02-मजदूरी	644	26
	04-यात्र व्यय	1100	350
	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	442	127
	09-विद्युत देय	1450	250
	17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	2443	143
	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1298	248
	49-चिकित्सा व्यय	1906	406
		9283	1550

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- भण्डार क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

5- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

6- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

7- यह आदेश वित्त 1-अनुभाग (यकव्य-आय)के कार्यालय,2014/231-2014-दस/2457-1-बी-ज्ञाप संख्या-दिनांक2014/07/22- में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>

विजय प्रताप सिंह
अनु सचिव।

<u>संख्या-17/2015/409(1)/58-2-2015, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- मुख्य वित्त नियन्त्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in